न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

1. अमर सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह जाति अहीर निवासी 5 जी.बी.(ए) हाल चक 9 ए.एस.(बी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थी.....

बनाम-

1. राजविन्द्र कौर पत्नी श्री नरेन्द्रजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 45 जी. बी.(बी) ढाणी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. रविन्द्र सिंह पु श्री नरेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 45 जी.बी.(बी) ढाणी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर।

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति :- 1. श्री अवतार सिंह मल्ली, नवीन कुमार मिढ्ढा वकील प्रार्थी
2. श्री ओम धायल, चन्द्र प्रकाश वकील अप्रार्थीगण
3. पैराकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 60/2019

निर्णय दिनांक - 18.11.2019

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

यह कि प्रार्थी ने अनवानी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि चक 45 जी.बी.(बी) तहसील श्री विजयनगर का पत्थर नम्बर 208/450, मुरब्बा नं. 12 का किला नम्बर 15/2 का 0.063 हैक्टर, किला नं. 16 का 0.253 हैक्टर, 21 ता 25 सालम-सालम इस प्रकार कुल 1.581 है. नाली दोयम राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम से तथा इसी चक के उक्त प.नं. 208/450, मु.नं. 12 का किला नं. 1 ता 13 सालम-सालम किला नं. 14/1 का 0.127 है. तथा किला नं. 19 वा 20 सालम-सालम इस प्रकार कुल 3.9220 है. नाली दोयम कृषि भूमि अप्रार्थीया संख्या 1 राजविन्द्र कौर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है तथा इसी उक्त मुरब्बाजात नम्बर 12 का किला नं. 14/2 का 0.126 है., 15/1 में 0.190 है., 17, 18 सालम-सालम इस प्रकार कुल 0.822 है. नाली दोयम कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 रविन्द्र सिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 आपस में रिश्तेदार है। प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चक 45 जी.बी.(बी) तहसील श्री विजयनगर का पत्थर नम्बर 208/450, मुरब्बा नं. 12 का किला नम्बर 15/2 का 0.063 हैक्टर, किला नं. 16 का 0.253 हैक्टर, 21 ता 25 सालम-सालम इस प्रकार कुल 1.581 है. नाली दोयम कृषि भूमि में काश्त हेतु आने जाने एवं कृषि उपज एवं औजार आदि लाने ले जाने के लिए कोई स्वीकृत शुदा

लगातार.....2

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि को पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को हिस्सा पर काश्त करने हेतु दिया करता था और प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के उपरोक्त मुरब्बाजात के किला नं. 5 के कॉर्नर तक चल रहे चालू रास्ता से होता हुआ अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किलाजात संख्या 5 में प्रवेश कर आगे किला नं. 5, 6 व किला नं. 15/1 की भूमि की जगह में से पत्थर लाईन (सीमा रेखा) के साथ साथ के रास्ता से होता हुआ आगे अपनी कृषि भूमि के किला नं. 15/2 की भूमि में प्रवेश कर अपनी कृषि उपज एवं कृषि उपकरणों को परिवहन करता रहा है लेकिन अब प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि को अप्रार्थीगण को हिस्सा पर देना बन्द कर स्वयं काश्त करवाना शुरू कर दिया इस बात को लेकर अप्रार्थीगण ने अपने किला जात नम्बर 5-6-15/1 की सीमा रेखा पर स्थित उपरोक्त रास्ता को बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के उक्त किला जात में आने जाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपने किला जात में आने जाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपने किलाजात की कृषि भूमि में आने-जाने, काश्त करने कृषि उपज वा उपकरण परिवहन करने में अत्यधिक परेशानी हो रही है। अब प्रार्थी भूमि जुताई, बढाई, देखभाल, काश्त हेतु कृषि यन्त्र वा औजार परिवहन नहीं कर सकता और ना ही आ-जा सकता है। आज से दो रोज पूर्व प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 वा 2 से सम्पर्क कर आग्रह किया कि वे उक्त वर्णित मुरब्बा नं. 12 प.नं. 208/450 के किला नं. 5-6-15/1 में पत्थर लाईन पर 2 बिस्वा यानि करीबन 16 फुट चौडाई में रास्ता स्वीकृत करवाने में प्रार्थी का सहयोग करे तो वे ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये बस यही बिनाए मुखास्मत एवं बिनाय दावा प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त है। प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि को काश्त करने हेतु आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के नाम से दर्ज इसी चक के उक्त मुरब्बा नं. 12 प.नं. 208/450 के किला नं. 5-6-15/1 में पत्थर लाईन पर 2 बिस्वा यानि करीबन 16 फुट चौडाई में रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन चाहता है। उक्त वांछित रास्ता प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए लघुतम, सुगम रास्त है। प्रार्थी को को उक्त रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है क्योकि प्रार्थी को अपनी उक्त कृषि भूमि में पहुचने हेतु वैकल्पिक रास्ता का अभाव है और उक्त वांछित रास्ता स्वीकृत किये जाने पर प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली समस्त शर्तो की पालना को तैयार है।

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके चक 45 जी.बी.(बी) तहसील श्री विजयनगर का पत्थर नम्बर 208/450 मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 5-6-15/1 में पत्थर लाईन पर 2 बिस्वा यानि करीबन 16 फुट चौडाई में रास्ता स्वीकृत किया जावे ताकि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि के किलाजात में प्रवेश कर उसको काश्त कर सके तथा उक्त स्वीकृत शुदा रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 3 को दिया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों से असहमति जाहिर करते हुए निवेदन किया कि चक 45 जी.बी.(बी) के प.नं.

लगातार........3

Priyanka 18/11

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर.

Scanned by CamScanner

208/450 के मु.नं. 12 के किला नं. 5, 6 में अप्रार्थीगण द्वारा सिंचाई सुविधा खाला बनाया हुआ है। प्रार्थी को इसी मुरब्बे के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में से पत्थर लाईन के साथ रास्ता दिया जा सकता है जो कि सुगम होगा। मु.नं. 12 के किला नं. 5, 6 कभी भी रास्ता उपयोग में नहीं लिया गया है। आदि का प्रस्तुत कर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 45 जी.बी.(बी) का प.नं. 208/450 के किला नं. 15/2 का 0.063 है., 16 का 0.253 है., 21 ता 25 का 1.265 है. कुल 1.581 है. रकबा अमर सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह जाति अहीर के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी की भूमि के निकटतम है। प्रार्थी के रकबा को चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे जा रहे रास्ता के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं सुगम रास्ता नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अति आवश्यक है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के रकबा के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी के रकबा के निकटतम एवं सबसे छोटा रास्ता है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाकर चक 45 जी.बी.(बी) तहसील श्री विजयनगर का पत्थर नम्बर 208/450 मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 5-6-15/1 में पत्थर लाईन पर पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण की ओर 2-2 बिस्वा रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले मे अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को चक की वर्तमान डी.एल.सी. दर से दोगुणा राशि देगा। तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त रास्ते में आदेशानुसार पारित होने वाली भूमि की भली भांति पैमाईश की जाकर उक्त आदेशानुसार रास्ते की भूमि का मौके पर चिन्हीकरण करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराम करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 18.11.2019..... मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner